

राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग, राजा जयपुर

गंक प.8(ग)()नियन/श्रेणी/एलएसजी/12/ ५०९।

दिनांक: 30/4/2012

## -: अधिसूचना :-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम सं. 18 वर्ष 2009) की धारा 329 गिठत धारा 337 एवं विभागीय अधिसूचना कंमांक प.8(ग)( )नियम/श्रेणी/एलएसजी/12/25-4090 दिनांक 30.04.2012 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर म्नांकित द्वितीय श्रेणी की नगर पालिकाओं को एतदद्वारा नगर परिषद् घोषित किया जाता है :--

	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	
कं.सं.	वर्तमान नगर पालिका	परिवर्तित नगर परिषद
01.	नगर पालिका बाडमेर (द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद बाडमेर
02.	नगर पालिका बांसवाडा (द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद बांसवाडा
03.	नगरं पालिका बूंदी (द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद बूंदी
04.	नगर पालिका चितौडगढ (द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद चितौडगढ
05.	नगर पालिकाडूंगरपुर (द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद डूंगरपुर
06.	नगर पालिका धौलपुर (द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद धौलपुर
07.	्नगर पालिका जैसलमेर (द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद जैसलमेर
08.	नगर पालिका जालौर (द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद जालोर
09.	नगर पालिका झालावाड (द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद झालावाड
10.	नगर पालिका नागौर (द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद नागौर
11.	नगर पालिका सवाईमाधोपुर(द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद सवाईमाधोपुर
12.	नगर पालिका दौसा (द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद दौसा
13.	नगर पालिका बांरा (द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद बांरा
14.	नगर पालिका प्रतापगढ (द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद प्रतापगढ
15.	नगर पालिका सिरोही (द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद सिरोही
16.	नगर पालिका करौली (द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद करौली
17.	नगर पालिका राजसमन्द (द्वितीय श्रेणी)	नगर परिषद राजसमन्द

यह अधिसूचना तुरन्त प्रभाव से प्रभावशील होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

र ) (ताराचन्द मीणा) उप शासन सचिव

कंमांक प.8(ग)( )नियम/श्रेणी/एलएसजी/12/ ५०९२- ५३६४ दिनांक : ७०/५/१२ प्रितिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,राज. जयपुर को आगामी राजपत्र के असाधारण विशेषांक में प्रकाशनार्थ एवं 20 प्रतियां राजपत्र की उपलब्ध कराने हेतु।
- 02. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
- 03. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
- 04. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
- 05. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज0 जयपुर ।
- 06. आयुक्त, विकास एवं पंचायत विभाग, सचिवालय, राज0 जयपुर ।
- 07. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राज0 जयपुर ।
- 08 क्षेत्रीय सप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान ।

11